उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड

क्रं.सं.	कार्यमद	कृषको को अनुमन्य सुविधायें/सेवाएं
1	**राष्ट्रीय गौ एवं महिषवंशीय प्रजनन परियोजना (एन.पी.सी.बी.बी.)**	
•	कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण	₹10000.00 प्रति प्रशिक्षार्थी
•	ए.आई. केन्द्र की स्थापना हेतु ए. आई. किट प्रशिक्षित ए.आई. कर्ता को उपलब्ध कराना	₹30000.00 प्रति ए. आई.किट हेतु
•	कृत्रिम गर्भाधान सुविधा–पशुपालन विभाग के माध्यम से	₹50.00 प्रति कृत्रिम गर्भाधान शुल्क प्राप्त कर पशुपालक के द्वार पर
•	फील्ड परफोरमेन्स रिकार्डिंग कार्यक्रम–उन्नत दुधारू पशुओं (गाय/भैंस) की पहचान कर उनके एक ब्यांत के दूध की रिकार्डिंग करके हर्ड रजिस्टर में अंकित किया जाना	₹10.00 प्रति दुहान (एक ब्यांत में कुल 20 से 22 सुबह/सांय के दुहान की रिकार्डिंग) की दर से मिल्क रिकार्डर को भुगतान। हर्ड रजिस्टर में अंकित होने वाले गाय/भैंस के पशुपालक को ₹950.00 का पशुआहार आदि के रूप में अनुदान
2	**चारा विकास कार्यक्रम**	
•	काम्पैक्ट फीड ब्लाक (14 किग्रा0 एवं 12 किग्रा0 प्रति भेली) का वितरण	₹130.00 एवं ₹80.00 प्रति ब्लाक भुगतान पर, पशुपालन एवं डेयरी विकास के माध्यम से
•	यूरिया–शीरा–खनिज चाटन भेली (2.5 किग्रा0 प्रति भेली) का वितरण	₹30.00 प्रति चाटन भेली भुगतान पर, पशुपालन एवं डेयरी विकास के माध्यम से
•	चारा मिनीकिट का वितरण रबी (जई, बरसीम एवं रिजका) खरीफ (मक्का, ज्वार, चरी एवं लोबिया) तथा जायद (मक्का एवं लोबिया)	राजकीय पशुचिकित्सालयों, पशुऔषधालयों एवं दुग्ध समितियों के माध्यम से निःशुल्क वितरण
•	बहुवर्षीय चारा घासों के रूट स्टाक का वितरण	चारा नर्सरियों के माध्यम से पशुपालकों को निःशुल्क वितरण
3	**पशुधन बीमा योजना**	
•	पशुधन (गाय एवं भैंस) बीमा योजना	नैनीताल, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर, पिथौरागढ़, चमोली एवं देहरादून जनपदों में संचालित
•	आच्छादित लाभार्थी समूह	पशुपालक के दो उन्नत दुधारू पशु, जिनका दुग्ध उत्पादन 1500 ली. प्रति ब्यांत से अधिक हो
•	चयन प्रक्रिय	स्वस्थ दुधारू गाय–2 से 10 वर्ष आयु की, स्वस्थ दुधारू भैंस–3 से 12 वर्ष आयु की
•	बीमा दरें	1 वर्ष हेतु प्रीमियम दर बीमित धनराशि का 4.00 प्रतिशत, 3 वर्ष हेतु प्रीमियम दर बीमित धनराशि का 10.50 प्रतिशत
•	बीमा अवधि	अधिकतम 3 वर्ष हेतु
•	प्रीमियम भुगतान प्रक्रिय	बीमा प्रीमियम राशि का 50 प्रतिशत अंश पशुपालक द्वारा तथा शेष 50 प्रतिशत अंश भारत सरकार के अनुदान से देय
•	लाभ	पशुओं की दुर्घटना, मृत्यु व अन्य अप्रत्याशित क्षति होने पर पशुपालकों को इससे होने वाली आर्थिक क्षति से बचाया जाना